


02.042024:-आज पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थी वकील उपस्थित
नहीं आए। वादी का मूल वादपत्र आपसी राजीनामा
आधार पर खारिज हो गया। मूल वाद पत्र खारिज
होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष
नहीं रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण
प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.
ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है।
पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज
तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

